न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 03, भीलवाड़ा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी - पवन कुमार काला

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक अपील संख्या : 175/2026

CNR NO. RJBW 01-001689-2026

राजू उर्फ जयराज पुत्र स्वर्गीय श्री मुकेश उर्फ रामेश्वर संसी, निवासी कांवाखेड़ा, सरकारी स्कूल के पास, मुकेश जीनगर के मकान में किरायेदार, थाना कोतवाली, भीलवाड़ा।

.....अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

.....प्रत्यर्थी/अभियोगी

आपराधिक अपील अंतर्गत धारा 374 दंड प्रक्रिया संहिता विरुद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 20.01.2025 , जो श्री रूपेंद्र चौहान, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, भीलवाड़ा द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 555/2015, CIS No. 19275/2015, उनवानी राजस्थान राज्य बनाम शाहरुख आदि में पारित किया गया।

उपस्थिति :

1 श्री कार्तिक खाटवा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2 विद्वान अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

निर्णय

दिनांक 18.08.2026

1 यह अपील अपीलार्थी/अभियुक्त राजू उर्फ जयराज द्वारा मूलतः माननीय सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष दिनांक 15.05.2026 को प्रस्तुत हुई, जहां से अंतरण के पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2 विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, भीलवाड़ा (जिसे आगे सुविधा के लिए "विद्वान विचारण न्यायालय" संबोधित किया जाएगा) द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 555/2015, CIS No. 19275/2015, *राजस्थान राज्य बनाम शाहरुख आदि* में पारित दिनांक 20.01.2025 को पारित निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके माध्यम से अपीलार्थी अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया गया-

क्र.सं.	अपराध/धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1	380 भारतीय दण्ड संहिता	3 वर्ष का साधारण कारावास	10,000 रुपये	1 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त
2	457 भारतीय	3 वर्ष का साधारण	20,000	1 माह का साधारण

दण्ड संहिता कारावास रुपये कारावास अतिरिक्त उक्त मूल सजाएं साथ- साथ भुगताये जाने का आदेश दिया गया।

तथ्यात्मक स्थिति-

3 परिवादी डालचंद द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा के समक्ष दिनांक 30.07.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि वह जमना विहार में निवास करता है। दिनांक 25.07.2015 को वह ग्राम मालासेरी गया हुआ था। दिनांक 29.07.2015 को सायंकाल वापस जमना विहार आया तो उसके मकान के ताले टूटे हुए मिले। मकान के अंदर कमरों के किवाड़ टूटे हुए थे तथा सामान अस्त-व्यस्त मिला। फोन से सूचना प्राप्त होने पर वह रात्रि में जयपुर से भीलवाड़ा आया तथा दिनांक 30.07.2015 को प्रातः लगभग 4.00 बजे अपने मकान को देखा तो पूरे मकान का सामान बिखरा हुआ था। मकान में रखे बर्तन, बिस्तर, लोहे के बक्से, दो दीवान आदि में रखा सामान गायब था। इस प्रकार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके मकान में प्रवेश कर ताले एवं दरवाजे तोड़कर चोरी की गई।

4 उक्त रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, भीलवाड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 337/2015 अंतर्गत धारा 454 एवं 380 भारतीय दंड संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के दौरान आवश्यक कार्यवाही की गई तथा अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात अपीलार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में आरोप-पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

5 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त एवं अन्य सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराधों के आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाए एवं समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

6 विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा PW-1 से PW-10 तक कुल 10 साक्षियों को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श P-1 से प्रदर्श P-11 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए तथा विभिन्न जब्तशुदा सामान को आर्टिकल 1 से 17 तक प्रदर्शित करवाया गया।

7 अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

8 तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन कर अपीलार्थी अभियुक्त एवं अन्य सह-अभियुक्तगण को धारा 457 एवं 380 भारतीय दंड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध किया तथा उपर्युक्त दंडादेश पारित किया।

अपील में बहस

9 वर्तमान अपील की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय की संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

10 बहस के दौरान अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण की दोषसिद्धि के गुण-दोष पर कोई चुनौती नहीं दी तथा अपनी बहस को केवल दंडादेश की मात्रा तक सीमित रखा। उनका तर्क रहा कि अपीलार्थी अभियुक्त पर्याप्त लंबी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है और लगभग तीन वर्ष की सजा भुगत चुका है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में उसे उसके द्वारा भुगती गई सजा तक सीमित करते हुए रिहा किया जाना न्यायहित में होगा।

11 इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपील का विरोध किया तथा निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात दोषसिद्धि एवं दंडादेश पारित किया गया है, अतः अपील निरस्त की जाए।

विचारणीय प्रश्न-

12 मैंने दोनों पक्षों की बहस पर विचार किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया है।

13 वर्तमान अपील में इस न्यायालय के विचारण का मुख्य प्रश्न यह है कि अपीलार्थी/अभियुक्त अधिरोपित उक्त दण्डादेश को यथावत रखा जाना उचित है अथवा उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित होगा।

विनिश्चय एवं कारण-

13 अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.09.2023 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में रहा है तथा दोषसिद्धि के पश्चात भी कारावास की सजा भुगत रहा है। इसके अतिरिक्त वह इसी प्रकरण में विचारण के दौरान दिनांक 24.09.2015 से 03.12.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में रह चुका है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान तथा दोषसिद्धि के पश्चात तीन वर्ष से अधिक के कारावास की सजा भुगत चुका है। अन्य प्रकरण में भी दण्डादिष्ट होने से उसकी रिहायी नहीं हुयी है। इस अवधि का विधि के अनुसार समायोजन किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त अवधि तक कारावास भुगत लिया जाना, वर्तमान अपील में दोषसिद्धि को चुनौती न दिया जाना, बहस को केवल सजा की मात्रा तक सीमित रखना तथा प्रकरण की समग्र परिस्थितियां दंड की मात्रा पर विचार करते समय प्रासंगिक परिस्थितियां हैं।

14 फलतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलार्थी अभियुक्त की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, परंतु दंडादेश की अवधि में उपर्युक्त कारणों से संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

15.1 परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त राजू उर्फ जयराज पुत्र स्वर्गीय श्री मुकेश उर्फ रामेश्वर संसी द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, भीलवाड़ा द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 555/2015, CIS No. 19275/2015, *राजस्थान राज्य बनाम शाहरुख आदि* में दिनांक 20.01.2025 को पारित निर्णय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 380 एवं 457 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध किए जाने का आदेश यथावत रखा जाता है तथापि दंडादेश के संबंध में अपीलार्थी अभियुक्त को राहत प्रदान करते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में भुगती गई सजा की अवधि तक सीमित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि को उक्त अपराधों में क्रमशः 500-500 रुपये कुल 1000 रुपये तक संशोधित किया जाता है। संशोधित सजा वारण्ट बनाया जावे।

15.2 यदि अपीलार्थी अभियुक्त इस प्रकरण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित अथवा निरुद्ध नहीं है तथा किसी अन्य विधिक कारण से उसकी अभिरक्षा आवश्यक नहीं है, तो इस प्रकरण में भुगती गई सजा की अवधि के समुचित सत्यापन एवं समायोजन के पश्चात उसे तत्काल रिहा किया जाए।

15.3 विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति सहित आवश्यक अनुपालन हेतु वापस भेजी जाए।

(पवन कुमार काला)
अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 3
भीलवाडा

16. निर्णय आज दिनांक 18.08.2026 को मेरे द्वारा अपने लेपटोप पर टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार काला)
अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 3
भीलवाडा